न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2018/00207

जगदीश आत्मज विजयशंकर जाति माली निवासी छत्रपुरा तहसील एवं जिला बून्दी ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. द्वारका आत्मज विजय शंकर जाति माली निवाीस छोटा बाजार चरखियों का कुआ, बून्दी
2. बादल आत्मज विजयशंकर जाति माली निवासी छोटा बाजार चरखियों का कुआ, बून्दी तहसील एवं जिला बून्दी ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बून्दी ।
4. राज0 राज्य जरिये उपपंजीयक, बून्दी ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री राजकुमार माथुर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 29.01.2021

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.12.2017 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत एक वाद स्थायी निषेधाज्ञा एवं बंटवारा भूमि का प्रस्तुत किया । उक्त वाद के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान कातश्कारी अधिनियम का प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम छत्रपुरा तहसील बून्दी में कुल 03 किता की कुल रकबा 02 बीघा 01 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि वादी के पिता, पति श्री विजयशंकर आत्मज मोतीशंकर के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है । प्रतिवादी कम 01 का निधन हो चुका है किन्तु उसके जीवनकाल में उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही हो रही थी । वादी स्वयं व प्रतिवादी कम 2 व 3 उसके कायम मुकामान हैं जो पूर्व से ही इसमें पक्षकार हैं । प्रतिवादी क्रम 2 व 3 की नियत में बदयान्ति आ गई है और वे उक्त वादग्रस्त आराजी पर अवैध निर्माण करने जा रहे हैं । यदि ऐसा करने में प्रतिवादीगण क्रम 2 व 3 अथवा उनके प्रतिनिधि कामयाब हो गये तो मौके पर वाद के निस्तारण तक स्थिति को यथावत बनाये रखना संभव नहीं रहेगा । वादग्रस्त आराजी में वादी का हित–निहित है ।

M/

3. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी के पक्ष में अप्रार्थी के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वादग्रसत आराजी के मौके की यथास्थिति बनाये रखी जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 19.12.2017 के द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 19.12.2017 से व्यथित होकर प्रार्थी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर यह पूर्णतया प्रमाणित होते हुए भी कि उक्त भूमि पुश्तैनी है तथा जब तक विधिवत बंटवारा न हो जाये तब तक किसी भी पक्षकार को उक्त भूमि व उसके किसी भाग विशेष को विक्रय करने का अधिकार प्राप्त नहीं है । वादग्रस्त आराजी की वाद के अंतिम निस्तारण तक यथास्थिति बनाये रखना आवश्यक है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.12.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि वादग्रस्त आराजी के बंटवारे का दावा अधीनस्थ न्यायालय में विचारणीय था और उसमें यथास्थिति का आदेश चल रहा था वो आदेश आगे नहीं बढ पाया । अपीलान्ट वादी ने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके उक्त वाद के अंतिम निस्तारण तक यथास्थिति बनाये रखते हेतु पेख किया जिसको बिना वजह खारिज किया गया है । आराजी पुश्तैनी है जब तक बंटवारा न हो जावे तब तक कोई भी पक्षकार उसके किसी भाग विशेष का विक्रय नहीं कर सकता । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.12.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

8. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अपीलान्ट प्रार्थी के द्वारा मौके की दावे के अंतिम निस्तारण तक यथास्थिति बनाये रखने के क्रम में पेश किया और जिस दिन प्रार्थना पत्र पेश किया उसी दिन प्रार्थी और अप्रार्थी क्रम 03 के अभिभाषक की उपस्थिति दर्ज करते हुए प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है जबकि इसमें प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने के उपरान्त समस्त पक्षकारान की तलबी की जाकर उनसे जवाब प्राप्त कर बहस सुनकर इसका निस्तारण किया जाना चाहिए था । तदनुसार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है एवं खारिज होने योग्य है ।

9. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.12.2017 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अप्रार्थीगण से जवाब प्रार्थना पत्र प्राप्त कर उभयपक्षीय बहस सुनकर नये सिरे से विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 05.03.2021 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

10. निर्णय आज दिनांक 29.01.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

29.1.2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा